बिहार विधान सभा आम निर्वाचन

2020

(‘‘स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सहभागिता पूर्ण, चुनाव का मूल मंत्र है’’)

गश्तीदल–सह–EVM संग्रह पदाधिकारी निदेश

जिला–किशनगंज

डॉ0 आदित्य प्रकाश
भा0प्र0से0
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,किशनगंज

कोई मतदाता छूटे नहीं

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020

गश्तीदल–सह–EVM संग्रह

पदाधिकारी के लिए आवश्यक निदेश :–

- प्रत्येक PCCP को अधिकतम तीन से चार मतदान केन्द्र आवंटित किया गया है।
- नियुक्ति पत्र में अंकित स्थल एवं तिथि को निर्धारित समय पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- आपके साथ पुलिस पाटर्री (1:4) भी टैग है। उनसे सम्पर्क स्थापित कर एक दूसरे के मोबाईल नं0 का आदान–प्रदान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय।
- आपके लिए वाहन आवंटित है उसका लॉग–बुक एवं ईंधन कूपन वाहन कोषांग से प्राप्त कर लें।

- **EVM वितरण (बज्रगृह) स्थल से आप निम्न सामग्री प्राप्त करें।**

  (1) EVM (CUएवं BU)

  (2) VVPAT

  (3) Strip Seal (हल्का ब्लू, ABCD वाला)

(4) निविदत्त मतपत्र (Tendered Ballot paper)
(5) पेपर सील (हल्का हरा CU के रिजल्ट सेक्शन के लिए)
(6) स्पेशल टैग (CU) के रिजल्ट सेक्शन के Close बटन लाला)

- आवंटित मतदान केन्द्र के EVM तथा VVPAT के नम्बर का मिलान अवश्य कर लें। निविदत्त मतपत्र की संख्या एवं नम्बर का भी मिलान कर लें।
- पेपर सील, स्ट्रीप सील तथा स्पेशल टैग के नम्बर एवं संख्या की जांच कर लें एवं अश्वस्त हो लें कि वह आपको आवंटित मतदान केन्द्र का ही दिया गया है।
- मतदान के दो घंटा पूर्व तक सभी पीठासीन पदाधिकारी को EVM तथा VVPAT आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपलब्ध कराये जा रहे मशीन के नम्बर एवं संख्या का मिलान पीठासीन पदाधिकारी को भी करवा दें।
- मतदान केन्द्र अथवा चिन्हित कलस्टर केन्द्र पर ही रात्रि विश्राम करें।
- सभी पीठासीन पदाधिकारी को हिदायत करें कि मॉक पोल के बाद मशीन (CU) का डाटा क्लीयर करना न भूले यानि (CLOSE-RESULT-CLEAR) अवश्य करें साथ ही VVPAT से मॉक पॉल वाले स्लीप को भी काले लिफाफे में सील कर प्लास्टिक डब्बा में रखवाना सुनिश्चित करें।

- मतदान केन्द्र से 200 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी या पक्ष द्वारा मतदाताओं को धमकाया न जा रहा हो, और ना हीं अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, ऐसा सुनिश्चित करें।
- मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्त्ता द्वारा पार्टी का लोगो आदि प्रदर्शित न हो, यह सुनिश्चित कर लें।
- कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के अन्दर नशा आदि का प्रयोग न करें, इसका भी ध्यान रखें।
- सभी पीठासीन पदाधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क बनायें रखें। सख्त हिदायत दें कि मतदान की प्रक्रिया तेज रखें तथा भीड़ लगने न दें।
- आयोग के आदेशानुसार, दिव्यांगों,बुजुर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता अवश्य दें।
- मॉक पोल के समय CU,BU या VVPAT में से जो भी खराब होगा, केवल वही मशीन बदली जायेगी।
- मतदान के समय यदि CU या BU खराब हो तो CU,BU तथा VVPAT तीनों बदलें जायेंगें साथ ही यदि केवल VVPAT खराब हो तो केवल VVPAT बदला जायेगा। बदले जाने CU/BU/VVPAT जो मतदान में उपयोग किया है उसे स्ट्रॉग रूप में जमा कराऐंगें।

- मतदान समाप्ति के समय सिलिंग से पूर्व सभी पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दें, कि **CU** का **Close** बटन दबाना न भूलें साथ ही **CU** को ऑफ करना सुनिश्चित कर लें।

मतदान समाप्ति के पश्चात् PCCP अपने से संबंद्ध सभी मतदान केन्द्रों के पीठासीन पदाधिकारी को सभी Polled EVM,VVPAT एवं जमा किये जाने वाले सामग्री के साथ वज्रगृह पर सुरक्षित साथ लाकर सभी सामग्री को ससमय जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान समाप्ति के उपरान्त बज्रगृह में जमा होने वाली आवश्यक सामग्रियाँ

(क)सील किया गया CU,BU तथा **VVPAT** (सभी **Polled EVM/VVPAT**)

(ख)खुला लिफाफा–निम्नवत बनायें–

(1)	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी–	दो प्रति।
(2)	पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा–	दो प्रति।
(3)	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रपत्र **(17C)**–	दो प्रति।
(4)	पेपर सील लेखा –	दो प्रति।
(5)	**P S 05 (VOTERS TURN OUT REPORT)**–	दो प्रति।
(6)	मॉक पोल सार्टिफिकेट –	दो प्रति।
(7)	**VISIT SHEET** –	दो प्रति।
(8)	पर्यवेक्षक रिपोर्ट –	दो प्रति।
(9)	चालान की प्रति –	दो प्रति।

(ग) **<u>मुहरबंद सांविधिक लिफाफा STATUTORY PACKET (हरा) –</u>**

(1) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति

(2) मतदाताओं का रजिस्टर **(17A)**

(3) मतदाता पर्ची

(4) अप्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं फार्म **(17B)** में सूची

(5) **Mock Poll** पर्ची काला लिफाफा

(घ) **<u>मुहरबंद असांविधिक लिफाफा (NON STATUTORY PACKET) (पीला)</u>**

(1) निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ

(2) फॉर्म 10 (मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति पत्र)

(3) फॉर्म 12B (निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र)

(4) फॉर्म 14 (अभ्याक्षेपित मतों की सूची)

(5) फॉर्म **14A** (दृष्टिहीन एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची एवं उसके साथी का घोषणा)

(6) आयु संबंधी घोषणा एवं सूची

(7) रसीद बुक एवं कैश

(8) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपरसील

(9) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची

(10) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग

(11) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीपसील

(ड़) **<u>तीसरा पैकेट (भूरा) :–</u>**

(1) पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका

(2) ई0वी0एम0 (EVM) निर्देशिका

(3) अमिट स्याही पैट

(4) स्टाम्प पैड

(5) पीठासीन पदाधिकारी की मेटलशील

(6) एरो क्रॉस मार्क

(7) अमिट स्याही का कप

(च)**<u>चौथा पैकट (नीला)</u>** :– अन्य समस्त मदों को चौथे पैकेट में रखें।

महत्वपूर्ण बिन्दु

– **EVM/VVPAT** के संचालन के पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में स्वयं आश्वस्त हो लें

– मतदान की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें।

– साथ ही मतदान प्रशिक्षण पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें।

मतदान तिथि को मतदान केन्द्र पर कोविड–19 के संदर्भ जारी दिशा–निर्देश/ प्रोटोकॉल के आलोक में की जाने वाली तैयारियाँ :–

- मतदान के एक दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सभी मतदान केन्द्रों का सैनिटाईजेशन किया जाना है।
- सभी मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर **Thermal Scanner** की व्यवस्था किया जाना है।
- मतदान कर्मी अथवा मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पारा मेडिकल स्टाफ/आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर **Thermal Scanning** किया जायेगा।
- सभी मतदान केन्द्रों पर एक **Help Desk** स्थापित किया जायेगा।
- **Help Desk** पर उपस्थित सक्षम प्राधिकार द्वारा तापमान हेतु निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाये जाने वाले वैसे निर्वाचकों के तापमान की दुबारा जॉच आधा घंटा के बाद की जायेगी। यदि तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जायेगा। साथ हीं ऐसे निर्वाचक को इस आशय का टोकन भी निर्गत किया जायेगा।
- टोकन निर्गत करने के पूर्व **Help Desk** पर संधारित **Alphabetical Roll** में मतदाता का क्रमांक चिन्हित किया जायेगा एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख किया जायेगा।
- मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचकों को मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं कोविड–19 के क्रम में निर्गत निरोधात्मक उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- सामाजिक दूरी का ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल को मार्कर (जैसे पेन्ट, चौक, रंगोली इत्यादि) की सहायता से चिन्हित किया जायेगा।
- ऐसे मतदान केन्द्र स्थल जहॉ मतदान केन्द्रों की संख्या 01 से अधिक है, वहॉ निर्वाचकों को इस प्रकार पंक्ति बद्ध किया जायेगा कि कोविड–19 हेतु सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- मतदान केन्द्र पर जगह की उपलब्धता के आधार पर 15–20 व्यक्तियों के पंक्तिबद्ध होने की व्यवस्था की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके बीच दो गज (6 फीट) की दूरी बनीं रहे।

- मतदान केन्द्र पर तीन पंक्ति क्रमशः पुरूष, महिला एवं **PWD/** वरिष्ठ नागरिक के लिए होगा।

- मतदान केन्द्र पर सामाजिक दूरी का मानका का अनुपालन बी0एल0ओ0, स्वंय सेवकों आदि से कराया जायेगा।

- मतदान केन्द्र पर पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग **Shaded Waiting Area** चिन्हित किया जायेगा। जिसमें कुर्सी, दरी आदि की व्यवस्था सामाजिक दूरी के मानक के अनुरूप होगीं। जिससे निर्वाचक सुरक्षाात्मक उपायों के साथ मतदान में भाग ले सके।

- सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश एवं निकास द्वार पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था की जायेगी।

- सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश एवं निकास द्वार पर **Hand Sanitizer** की व्यवस्था की जायेगी।

- मतदान केन्द्र में जागरूकता के दृष्टिकोण से ऐसे स्थान पर जहॉ **Visibility** (दृश्यता) हो, पर कोविड–19 से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किया जायेगा।

- मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं **Polling Agent** के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि सामाजिक दूरी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

- यदि मतदान केन्द्र पर किसी **Polling Agent** को मानक से अधिक तापमान है, तो वैसे स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उसके **Relief Agent** को मतदान प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जायेगी।

- निर्वाचकों के पहचान के क्रम में निर्वाचक को अपना मास्क आवश्यकतानुसार हटाना होगा। पीठासीन पदाधिकारी उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

- किसी भी समय मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रह सकते है। पीठासीन पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि कोविड–19 हेतु निर्गत निरोधात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

- निर्वाचक को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ई0वी0एम0 के **Ballot Unit** के बटन दबाने के लिए **Hand Gloves** मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर दिया जायेगा।